# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2559 / 2024

सुरेन्द्र सिंह रत्नु

–अपीलार्थी

**बनाम**

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक सह संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, रिजनल कार्यालय, जयपुर–।।, जयपुर, वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

**आदेश की दिनांक** : 20.08.2024

**उपस्थित –**

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

**आदेश**

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण अति. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, क्षे. कार्या., प्रथम, जयपुर से महानिरीक्षक, वायरलेस, जयपुर किया गया है। इस अपील में अपीलार्थी ने कार्य मुक्ति आदेश दिनांक 14.08.2024 (अनुलग्नक–2) को भी चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को नए पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देने के लिए कार्य मुक्त किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण आदेश करीब डेढ़ वर्ष पूर्व जारी किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी को अब अनुलग्नक–2 के द्वारा कार्य मुक्त किया गया है। कार्य मुक्ति आदेश स्थानांतरण के डेढ़ वर्ष बाद जारी किया गया है, जिससे प्रकट होता है कि वर्तमान में ऐसी कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं रही है। अपीलार्थी

के अधिवक्ता का तर्क है कि स्थानांतरण आदेश एवं कार्य मुक्ति आदेश को निरस्त किया जाए। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में केवल मात्र 10 माह शेष हैं। ऐसे में अब अपीलार्थी को कार्य मुक्त किया जाना उचित नहीं है।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी की ओर से अतिरिक्त निदेशक स्थानीय नीधि एवं अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वितीय द्वारा निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर को जारी किये गये पत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को कार्य मुक्त नहीं किए जाने का कारण अंकित है कि वर्तमान में पंचायत समिति जैसी बड़ी संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य संपादित किया जा रहा है एवं निदेशालय द्वारा ऐसी अन्य संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य भी निर्धारित किया हुआ है। विभागीय मैनुअल के अनुसार पंचायत समिति जैसी बड़ी संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य सहायक लेखा अधिकारी प्रथम के बिना नहीं करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त परिस्थितियों के मध्यनजर अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिकों के पदस्थापन किये जाने तक अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जाना संभव नहीं पाया गया। हम पाते हैं कि वर्तमान में अपीलार्थी को स्थानीय नीधि अंकेक्षण विभाग द्वारा कार्य मुक्त किया जा चुका है, इससे प्रकट होता है कि पूर्व में जिस कारण से अपीलार्थी को कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा था, वह कार्य अब पूर्ण हो चुका है। अतः अब अपीलार्थी को नए स्थान पर कार्य ग्रहण करने के लिए कोई बाधा नहीं है। हम पाते हैं कि पूर्व में अपीलार्थी को नए स्थान के लिए कार्य मुक्त नहीं किए जाने का उचित कारण यह रहा है कि अपीलार्थी द्वारा महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित किया जाना था। अपीलार्थी को पूर्व में कार्य मुक्त नहीं किए जाने से स्थानांतरण आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता। यह भी प्रकट नहीं होता है कि अपीलार्थी को कार्य मुक्त नहीं किए जाने के कारण प्रशासनिक आवश्यकता समाप्त हो गई हो। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में 10 माह शेष हैं। इस कारण से अपीलार्थी को स्थानांतरित किया जाना उचित नहीं है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी को वर्तमान में जयपुर में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी

के स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में 10 माह ही शेष है।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**